

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 13.07.2022

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल— व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को० नगर ने 01, थाना धानेपुर ने 01 व थाना कौड़िया ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. तुलसा पत्नी रामफेरे निवासिनी ग्राम कोल्हुआ मौजा गोसेन्द्रपुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—251/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

02. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. श्यामनरायन पुत्र बृजलाल नि० ग्राम नेतौरा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—102/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामभवन पुत्र रामप्रसाद निवासी जैदपुर मांझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—269/22, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

04. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन सिंह पुत्र शिवशंकर सिंह नि० सेरापार मौजा पूरे बहोरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया व 500 नौसादर बरामद कर मु०अ०सं०—225/22, धारा 60 आबकारी अधि० व 272 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2022

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस ने दहेज हत्या के वांछित अभियुक्त लालमणि मिश्रा उर्फ लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी शिवनायक पुत्र मनमोहन नि० पलिया चरौठा थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए अपने परिजनों के साथ मिलकर जान से मार दिया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना तरबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

01. लालमणि मिश्रा उर्फ लल्लू पुत्र केदारनाथ मिश्रा नि० सरावां थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु०अ०सं०-242/22, धारा 498ए,304बी,504,506 भादवि व 3/4 डी०पी० ऐक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:-

उ०नि० सोम प्रताप सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2022

थाना मनकापुर ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मुख्तार अली को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. मुख्तार अली पुत्र छोटे नि० ग्राम करोहामान थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-235/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे०का० इन्द्रेश कुमार।
02. हे०का० ज्ञानेश्वर वर्मा।

सराहनीय कार्य
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2022

थाना मनकापुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत जिलाबदर अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने जिलाबदर अभियुक्त रामजनम वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा 06 महीने के लिए जिलाबदर घोषित किया गया था फिर भी अभियुक्त जनपद गोण्डा में निवास कर रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामजनम वर्मा पुत्र रामउजागर वर्मा नि० ग्राम उड़नापुर हरनाटायर थाना को० मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग:—

01. मु०अ०सं०-238/22, धारा 10 यू०पी० गुण्डा अधि० थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम:—

उ०नि० बलिराम सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2022

लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त

गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त राहुल कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल कोरी पुत्र फेरन नि० नरायणपुर जनपद भगौड़ा नेपाल।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-323/22, धारा 366 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० अभिषेक मिश्रा मय टीम।

सराहनीय कार्य
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 13.07.2022

थाना कौडिया ने नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौडिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त उमेश कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौडिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. उमेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश गोरी नि० शुक्ल पुरवा मौजा बिंदा बाजार थाना विश्वेश्वरगंज जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-143/22, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कौडिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद नाजायज चाकू।

गिरफ्तार कर्ता—

01. हे०का० गजानन पाठक।
02. हे०का० राजकरन यादव।